

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-20.06.2018

संख्या-14/प्रो० 119/2016 8218 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) के सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री राज कुमार, कोटि क्रमांक-429/11 को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में दिनांक -23.12.2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।


2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( विमलेश कुमार झा )  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०- 8218 / पटना-15, दिनांक- 20.06.2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से )/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, सिवान/ संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/ श्री राज कुमार, बि०प्र०से० (से०ने०) कोटि क्रमांक-429/11/प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।